तत्काल निर्गत/समयवद्ध/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

संख्याःडीजी-तीन-114(34)2014 दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 27, 2014

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उ0प्र0।

शासनादेश संख्याः 1447/6-पु-1-14-650(59)/02टीसी, दिनांकः 10.10.14 की संलग्न प्रति का अवलोकन करें। इसके द्वारा लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए वर्तमान में प्रचलित 05 संवर्गों पुलिस मुख्यालय, सीबीसीआईडी, अभिसूचना, जिला पुलिस एवं रेलवे पुलिस संवर्ग के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्याः6907/आठ-1-650(4)/75, दिनांकः 09.02.76 एवं इससे सम्बंधित अन्य सभी शासनादेशों/आदेशों को निरस्त करके लिपिकीय कार्मिकों को 03 संवर्गों लिपिक, लेखा लिपिक एवं आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग में विभक्त किया गया है। इन तीनों संवर्गों की संवर्गवार अलग-अलग निर्विवाद ज्येष्ठता सूची सेवा में आने की तिथि से तैयार की जानी है ।

2. उक्त शासनादेश के अनुपालन में ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने की कार्यवाही इस मुख्यालय द्वारा ही की जायेगी और मेरे द्वारा इस कार्य की समीक्षा प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में की जायेगी। समांक आदेश दिनांक 21.10.14 द्वारा गठित समित द्वारा परीक्षणोपरान्त सूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी ।

3. अतः अपने-अपने कार्यालय से संबंधित संलग्न निर्धारत **प्रारूप-क** में आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग, **प्रारूप-ख** में लेखा लिपिक संवर्ग एवं **प्रारूप-ग** में लिपिक संवर्ग की सूचनायें मय कम्प्यूटर सीडी (M.S.EXCEL SHEET कृष्णा फौन्ट में) **के दिनांक 04.11.2014 तक** फैक्स/वाहक द्वारा **पुलिस महानिदेशक के सहायक, डीजीपी मुख्यालय, लखनऊ** को उपलब्ध करा दें। आपके जनपद/ईकाई का कोई कर्मी यदि अन्यत्र कही प्रतिनियुक्ति आदि पर हो और उसके सेवाभिलेख भी वहीं पर हैं, तो उस कार्यालय की यह जिम्मेदारी है कि उस कर्मी की सूचनायें अपने स्तर से प्राप्त कर उपलब्ध कराये ।

4. किसी कर्मी के संबंध में संवर्ग, सेवा में आने की तिथि आदि को लेकर किसी प्रकार की कोई विशेष टिप्पणी हो, तो उसका पूर्ण विवरण अलग से सुस्पष्ट आख्या सहित उपलब्ध कराया जाय एवं निर्धारित प्रारूप में उसके नाम के कालम में यह अंकित किया जाय कि इस कर्मी का विवरण संलग्न है। यह कार्यवाही समयवद्ध रूप से की जानी है, अतः इसमें किसी भी स्तर कोई विलम्ब न हो। **विलम्ब के लिये संबंधित कार्यालयाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे ।**

5. लिपिकीय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने हेतु निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है ताकि भ्रम न रहे और नियमानुसार कार्यवाही हो सके :-

(1)सेवा में आने की तिथि का तात्पर्य वर्तमान (आशुलिपिक/गोपनीय सहायक, लेखा लिपिक व लिपिक) संवर्ग में योगदान देने की तिथि से है ।

(2)शासनादेश जारी होने की तिथि 10.10.14 को जो कर्मी आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग में कार्य कर रहे थे, उन्हें आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग का माना जायेगा, जो कर्मी लिपिक संवर्ग में कार्य कर रहे थे उन्हें लिपिक संवर्ग में माना जायेगा तथा जो कर्मी आंकिक शाखा में कार्य रहे थे, उन्हें लेखा लिपिक संवर्ग में माना जायेगा। सूचनायें प्रेषित करते समय इस आशय का प्रमाण-पत्र(प्रारूप-घ) भी संबंधित कर्मी के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

27/10/14

(आनन्द लाल बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

(1)

28/10 2014 6:03 FAX 0001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी मुख्यालय, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
5. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 को निदेशानुसार इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इन सभी प्रपत्रों के प्रकाशन हेतु पुलिस की वेवसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई-मेल कराते हुये उ0प्र0नामिनल रोल प्रणाली में आन लाइन संलग्न प्रारूप- क, ख, ग एवं घ में सूचनायें प्राप्त कर दिनांक 04.11.14 (M.S.EXCEL SHEET कृष्णा फौन्ट में) तक हार्ड एंव शाफ्ट कापी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

2

फैक्स/समयबद्ध
संख्याः 1447/6-पु-1-14-650(59)/02टीसी

प्रेषक

श्री राजीव अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर ,2014

विषयः उ0प्र0 पुलिस बल में कार्यरत लिपिक संवर्ग (मिनिस्टीरियल स्टाफ) का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्याः डीजी-चार-115(172)/98 पार्ट-।।।, दिनांक 12.07.2014 एवं उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 18-204-66 दिनांक 28.12.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उप निरीक्षक (एम) के 175 पदों, सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 185 पदों एवं शासनादेश संख्याः 4147/6-पु-1-2008-120/2008 दिनांक 11.12.2008 में सृजित पदों में से आरक्षी ना0पु0 के 148 पदों को समर्पित करते हुए पुलिस विभाग में कार्यरत लिपिक कर्मचारियों की कार्यात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में उपलब्ध नियतन के सापेक्ष कतिपय पदों को उच्चीकृत करके मिनिस्टीरियल संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव औचित्य के साथ इस शर्त के अधीन उपलब्ध कराया गया कि उच्चीकृत किए जाने वाले पदों पर आने वाला व्ययभार तथा समर्पित किए गए पदों पर होने वाला व्ययभार की मात्रा बराबर होगी अर्थात उच्चीकृत किए गए समस्त पदों पर होने वाला व्ययभार शून्य रहेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कार्यरत मिनिस्टीरियल संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने हेतु उप निरीक्षक (एम) के 175 पदों, सहायक उपनिरीक्षक (एम) के 185 पदों एवं आरक्षी ना0पु0 के 148 पदों को समाप्त किया जाता है तथा भविष्य में इन पदों की मांग नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्याः 6907/आठ-1-650(4)/75, दिनांक 09.02.1976 द्वारा उ0प्र0 पुलिस बल के मिनिस्टीरियल संवर्ग को निम्नलिखित पांच संवर्गों में यथा (1) पुलिस मुख्यालय संवर्ग, (2) अपराध अनुसंधान विभाग संवर्ग, (3) अभिसूचना विभाग संवर्ग, (4) जिला पुलिस संवर्ग एवं (5) राजकीय रेलवे पुलिस संवर्ग में विभक्त किये गये उक्त शासनादेश एवं तत्सम्बन्धी अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कार्यरत मिनिस्टीरियल संवर्ग को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संवर्गों में विभक्त किया जाता है :-

1-लिपिक संवर्ग, 2-लेखा लिपिक संवर्ग, 3-आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग

उपरोक्तानुसार गठित तीनों संवर्गों में पुनर्गठन के पश्चात उच्चीकृत किये गये पदों का नियतन एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से निम्नवत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लिपिक संवर्ग

रैंक	पूर्व नियतन (स्वीकृत पदों की संख्या)	पुनर्गठन के पश्चात (स्वीकृत पदों की संख्या)	वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन
पुलिस उपाधीक्षक (एम)	06	15	वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400
निरीक्षक (एम)	24	92	वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600
उप निरीक्षक (एम)	630	678	वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200
सहायक उप निरीक्षक (एम)	1685 (सीधी भर्ती)	1560 (सीधी भर्ती)	वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800
योग	**2345**	**2345**	

लेखा लिपिक संवर्ग

रैंक	पूर्व नियतन (स्वीकृत पदों की संख्या)	पुनर्गठन के पश्चात (स्वीकृत पदों की संख्या)	वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन
पुलिस उपाधीक्षक (एम)	00	06	वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400
निरीक्षक (एम)	04	37	वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600
उप निरीक्षक (एम)	255	276	वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200
सहायक उप निरीक्षक (एम)	645 (सीधी भर्ती)	585 (सीधी भर्ती)	वेतन बैण्ड-1, रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800
योग	**904**	**904**	

गोपनीय सहायक संवर्ग

रैंक	पूर्व नियतन (स्वीकृत पदों की संख्या)	पुनर्गठन के पश्चात (स्वीकृत पदों की संख्या)	वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन
पुलिस उपाधीक्षक (एम)	03	35	वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400
निरीक्षक (एम)	35	247	वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600
उप निरीक्षक (एम)	784 (सीधी भर्ती)	540 (सीधी भर्ती)	वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200
योग	**822**	**822**	

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 26 के अन्तर्गत सुसंगत लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा।

5

4- प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार गठित तीनों संवर्गों के कार्मिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण उनके सेवा में आने की तिथि से किया जायेगा। इन तीनों संवर्गों की पृथक-पृथक संवर्गवार निर्विवाद ज्येष्ठता सूची तैयार कर आगामी एक माह के भीतर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जायेगी ।

5- प्रश्नगत प्रकरण में संवर्गवार निर्गत की गई ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही सम्बंधित कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में भी इन्द्राज कर तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी, ताकि भविष्य में ज्येष्ठता सम्बन्धी विवादों की स्थिति उत्पन्न न हो ।

6- उपरोक्त तीनो संवर्गों की संवर्गवार तैयार की गयी निर्विवाद ज्येष्ठता सूची की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात ही की जायेगी ।

7- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित कराते हुए उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली का संशोधित प्रारूप हिन्दी एवं अंग्रेजी में (सॉफ्ट व हार्ड कापी) शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि नियमावली के प्रख्यापन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके ।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या ई-12-1570/दस-2014, दिनांक 10.10.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राजीव अग्रवाल)
सचिव,

<u>संख्या: 1447/6-पु-1-14-650(59)/02टीसी तद्दिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (बजट)/मुख्यालय, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4. पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वरिष्ठता सूची का निर्धारण समय से सुनिश्चित करायें ।
5. पुलिस महानिरीक्षक 'स्थापना', उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमावली का संशोधित प्रारूप समय से उपलब्ध करायें।
6. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/पीएसी जोन्स, उ0प्र0 ।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/पीएसी अनुभाग, उ0प्र0 ।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उ0प्र0, पुलिस अधीक्षक रेलवेज उ0प्र0, समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त व्यय नियन्त्रण, अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन ।
11. वित्त वेतन आयोग, अनुभाग-01 एवं 02, उ0प्र0 शासन ।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरूप कुमार मिश्र)
विशेष सचिव,

5

प्रारूप-क

आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मियों की वरिष्ठता सूची के प्रकाशन हेतु विवरण

क0सं0	पीएनओ नम्बर	नाम	पिता का नाम	पदनाम	नियुक्ति स्थान	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	गृह जनपद	शिक्षा	जाति	SI(M)/ST पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	DI(M)/CA पद पर कार्यभार गृहण करने की तिथि	INS(M)/CA (एम) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	DYSP (M)पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पदवार स्थाईकरण का विवरण तिथि सहित	अभ्युक्ति/टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

कार्यालयाध्यक्ष का नाम-

पदनाम-

हस्ताक्षर-

दिनाँक-

प्रारूप-ख (7)

लेखा लिपिक संवर्ग के कर्मियों की वरिष्ठता सूची के प्रकाशन हेतु विवरण

क0 सं0	पीएनओ नम्बर	नाम	पिता का नाम	पदनाम	नियुक्ति स्थान	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	गृह जनपद	शिक्षा	जाति (GC/OBC/SC/ST)	CONS(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	ASI(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	SI(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	DI(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	INS(M)पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	DYSP (M)पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पदवार स्थाईकरण का विवरण तिथि सहित	अभ्युक्ति/टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

कार्यालयाध्यक्ष का नाम-

पदनाम-

हस्ताक्षर-

दिनाँक-

(8)

प्रारूप-ग

लिपिक संवर्ग के कर्मियों की वरिष्ठता सूची के प्रकाशन हेतु विवरण																		
क0 सं0	पीएनओ नम्बर	नाम	पिता का नाम	पदनाम	नियुक्ति स्थान	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	गृह जनपद	शिक्षा	जाति (GC/OBC/SC/ST)	CONS(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	ASI(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	SI(M) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	DI(M) पद पर कार्यभार गृहण करने की तिथि	INS(M)पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	DYSP (M)पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पदवार स्थाईकरण का विवरण तिथि सहित	अभ्युक्ति/टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

कार्यालयाध्यक्ष का नाम-

पदनाम-

हस्ताक्षर-

दिनाँक-

प्रारूप 'घ'

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लिपिक संवर्ग, लेखा लिपिक संवर्ग एवं आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग के कर्मियों के वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रेषित की जा रही सूचना सही है। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0:1447/6-पु-1-14-650(59)/-02टीसी, दिनांक: 10.10.14 के निर्गत होने की तिथि को जो कर्मी लिपिक संवर्ग में कार्य कर रहे थे, की सूचना लिपिक संवर्ग के प्रारूप में, जो कर्मी लेखा लिपिक संवर्ग में कार्य कर रहे थे, की सूचना लेखा लिपिक संवर्ग के प्रारूप में एवं जो कर्मी आशुलिपिक संवर्ग में कार्य कर रहे थे, की सूचना आशुलिपिक/गोपनीय सहायक संवर्ग के प्रारूप में प्रेषित की जा रही है। किसी भी लिपिकीय कर्मी का नाम छूटा नहीं है ।

कार्यालयाध्यक्ष का नाम-
पद नाम-
हस्ताक्षर-
दिनांक-

9

28/10 2014 6:04 FAX ☐ 0009